Annexure- N
अनुबन्ध- थ

1. समेकित बाल संरक्षण स्कीम

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत ऐसे तन्त्र का सृजन किया गया है जो, जो दक्षतापूर्वक और प्रभावी रूप से बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। यह बाल अधिकार संरक्षण और सर्वोत्तम बाल हित के दिशा निर्देश सिद्वांतो पर आधारित है। समेकित बाल संरक्षण स्कीम के उदेश्य इस प्रकार है:– कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चो के कल्याण और उन परिस्थितियों तथा गतिविधियों की सुभेद्यता में कमी लाने में योगदान देना,जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार , उपेक्षा , पोषण, उन्हें बेसहारा छोड देने तथा अलग कर देने की ओर जाते हैं। इसे अग्रलिखित द्वारा अर्जित किया जाएगा:–

(i) बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच और उनकी बेहतर गुणवत्ता
(ii) बाल अधिकारों की वास्तविकता, भारत में उनकी स्थिति और सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि ।
(iii) बाल संरक्षण की स्पष्ट जवाबदेही और प्रबलित दायित्व ।
(iv) कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को वैधानिक और सहायक सेवाओं की अपूर्ति के लिए सभी सरकारी स्तरों पर सुस्थापित और कार्यशैली संरचना ।
(v) प्रचालन साक्ष्य पर आधारित निगरानी और मूल्यांकन करना।

2. विशिष्ट उद्देश्य

2.1 अनिवार्य सेवाओं को संस्थागत बनाना और संरचनाओं का सुदृढीकरण:–

i. आपातकालीन पहुंच, संस्थागत परिचर्या, परिमर्श और समर्थन सेवाओं के लिए सेवाओं की स्थापना और सुदृढीकरण,
ii. राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य संरचनाओं और प्रकियाओं को इस्तेमाल करना और सुदृढ बनाना
iii. वैधानिक निकायों की कार्यशैली के लिए प्रचालनात्मक मैनुअलों सहित सभी सेवाओं को परिभाषित करना तथा मानक तय करना,

2.2 सभी स्तरों पर क्षमताएं बढाना:

i. आईसीपीएस के तहत कार्य करने के सभी स्तरों पर प्रशासकों तथा सेवा प्रदाताओं सहित सभी पदाअधिकारियों की क्षमता का निर्माण ।

ii. आईसीपीएस के तहत दायित्व लेने के लिए स्थानीय निकायों, पुलिस, न्यायपालिका और अन्य संबधित निकायों सहित सम्बंध प्रणालियों के सदस्यों को सुग्राही बनाना और प्रशिक्षण देना ।

2.3 **बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डेटाबेस और ज्ञान आधार सृजन करनाः**

i. देश में बाल संरक्षण सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एमआईएस और बल ट्रेकिंग प्रणाली सहित बाल संरक्षण आंकडा प्रबंधन प्रणाली की प्रकिया का सृजन

ii. अनुसंधान और प्रलेखन करना ।

2.4 **परिवार और समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण का सुदृढीकरणः -**

i. परिचर्या, संरक्षण और बच्चों संबंधी कार्यक्रमों को सुदृढ बनाने के लिए परिवारों और समुदायों की क्षमता का निर्माण,

ii. सुमेद्यता, जोखिम और दुर्व्यवहार की स्थितियों से बच्चों को बचाने के लिए निवारणात्मक उपायों का सृजन और प्रोत्साहन।

2.5 **सभी स्तरों पर उपयुक्त अंतर-क्षेत्रीय प्रतिकिया करनाः**

सभी संबद्ध प्रणालियों के साथ समन्वय और नेटवर्क अर्थात योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बच्चों को सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी विभाग और गैर–सरकारी अभिकरण के साथ समन्वय।

2. **सार्वजनिक जागरूकता बढाना :**

i. बाल अधिकारों और संरक्षण पर जनता को शिक्षित करना ।

ii. बच्चों और परिवारों की स्थिति तथा सुमेद्यता पर सभी स्तरों पर सार्वजनिक जागरूकता लाना ।

iii. जनता को सभी मौजूदा बाल संरक्षण सेवाओं, योजनाओं और हर स्तर की संरचनाओं की जानकारी देना।

3. **देखरेख, समर्थन और पुनर्वास सेवाएं**

1. चाइल्डलाइन के माध्यम से आपातकालीन पहुंच सेवाः–

चाइल्डलाइन देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए एक 24/7 आपातकलीन फोन पहुंच सेवा है जो उन्हें आपातकालीन और दीर्घ अवधि देखरेख तथा पुनर्वास से जोडती है। कठिन परिस्थिति में रहने वाला कोई भी बच्चा या उसकी ओर से कोई वयस्क इस सेवा तक 1098 डायल करके पहुंच सकता है । हिमाचल प्रदेया में चाइल्डलाइन सेवाएं 7 जिलों में चलाई जा रही है।

2. शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बच्चों के लिये खुले आवासः -

गृहहीन बच्चों, फुटपाथ पर घुमने वाले सडक पर रहने वाले और कामकाजी बच्चों तथा बाल भिखारियों की बडी संख्या को देखरेख और सहायता की जरूरत में उनके हाल पर छोड दिया जाता है जो एक शहरी परिवेश में बडी चिंता का विषय है। शहरी क्षेत्र में भारत की 29 प्रतिशत आबादी निवास करती है, जिसमें से आधे लोग घर की कमी और मूलभूत सुविधाओं जैसे स्वच्छता, सुरक्षित पेय जल, शिक्षा, स्वास्थ्य की देखरेख , मनोरंजन सुविधाओं आदि की पहुंच में कमी से बडी अत्यंत वंचित अवस्था में रहते है।

हिमाचल प्रदेश मे जिला कागडा एव जिला शिमला में दो खुले आवासो (open shelter home) का संचालन किया जा रहा है Uthan एण्ड HVHA जिनका सम्पर्क दूरभाष कमशः 94181–01583 और 0177-2670132 है।

3,.संस्थागत सेवाएं : -

1 बाल गृहः -

बडी संख्या में ऐसे बच्चे है जिन्हें देखरेख और संरक्षण की जरूरत है, जो बाल कल्याण समिति(सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से किशोर न्याय प्रणाली में प्रवेश करते है और उन्हें पूछताछ के दौरान आवासीय देखरेख और संरक्षण की जरूरत होती है तथा इसके पश्चात् उन्हें लम्बे समय तक देखरेख उपचार ,शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास की आवश्यकता होती है। किशोर न्याय (बच्चो की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 में राज्य सरकार को इन बच्चों को ग्रहण करने तथा आवासीय देखरेख प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्वयंसेवी संगठनों के सहसयोग से या अपने आप बाल गृह की स्थापना के लिए अधिकार दिया गया है ।ये गृह इन बच्चों को घर से दूर एक घर और व्यापक बाल देखरेख सुविधाएं प्रदान करते है ताकि उनका चहुंमुखी विकास सुनिश्चित किया जा सके। राज्य में 19 बाल गृह का संचालन किया जा रहा है जिसमें से 8 सरकार द्वारा और 11 स्वयं सेवी संस्था द्वारा चलाये जा रहे है।

जे0 जे0 एक्ट (रख रखाव एंव सरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 34(3) संशोधित अधिनियम जे0 जे0 एक्ट (रख रखाव एंव सरक्षण) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत पंजीकृत बाल / बालिका एंव बाल गृहों की सूचि :–

कमांक	जिला	बाल/बालिका आश्रम एंव बाल गृह का नाम	सरकारी या स्वंय सेवी संस्था द्वारा संचालित	प्रवेश हेतु सम्पर्क दूरभाष न0
1.	शिमला	बाल आश्रम टूटी कण्डी	सरकारी	0177–2807530
2.	शिमला ।	बालिका आश्रम मशोवरा	–यथा–	0177–2740268
3.	कांगडा	बलिका आश्रम परागपुर	–यथा–	01892.227114
4.	हमीरपुर	बाल आश्रम सुजानपुर	–यथा–	01972.222379

5.	शिमला	बाल/बालिका आश्रम मराली	–यथा–	01781–206112
6.	चम्बा	बाल आश्रम किलाड	–यथा–	94598–36400
7.	मण्डी	बाल गृह सुन्दरनगर	–यथा–	01905–223845
8.	उना	विशेष स्कूल उना	–यथा–	01975–228499
9.	शिमला	बाल आश्रम सराहन	हि0 प्र0 बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित	01782–274627
10.	शिमला	बालिका आश्रम सुन्नी		0177–2786525
11.	शिमला ।	बालिका आश्रम दुर्गापुर	कस्तुरबा गान्धी मैमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित	0177–2624489
12.	शिमला	बाल आश्रम रोकबुड	–यथा–	0177–2624489
13.	मण्डी	बाल आश्रम भरनाल	दीन बन्धु सेवा मण्डल भरनाल द्वारा संचालित	01905–255615
14.	मण्डी	बाल आश्रम डैहर	दिव्य मानव ज्योति अनाथालय ट्रस्ट डेहर जिला मण्डी द्वारा संचालित	01907–283024
15.	चम्बा	बाल आश्रम मैहला	हि0 प्र0 बाल कल्याण परिष्द द्वारा संचालित	01899–220307
16.	चम्बा	बालिका आश्रम चम्बा	महिला कल्याण मण्डल चम्बा द्वारा संचालित	01899–222789
17.	चम्बा	बालिका आश्रम तीसा	–यथा –	01986–227033
18.	कुल्लू	बाल आश्रम कलैहली	–यथा –	98169–18954
19.	किन्नौर	बालिका आश्रम कल्पा	–यथा–	01786–223436

2. पर्यवेक्षण गृह/विशेष गृहः -

किशोर न्याय मंडल(जेजेबी) के माध्यम से किशोर न्याय प्रणाली में आने वाले कानूनी रूप से विवादित बच्चों को उनके विरुद्ध जांच के दौरान पर्याप्त आवासीय देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत की जा रही है। इस अधिनियम में सरकार को इन्हें अस्थायी रूप से रखने के लिए प्रत्येक जिले में या जिलों के समूह में पर्यवेक्षण गृह स्थापित करने के लिए और उनके सखरखाव के लिए या तो स्वयं अथवा स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से स्थापित करने का अधिकार दिया गया है । हिमाचल प्रदेश में समूरकला जिला ऊना में एक सम्प्रेक्षण गृह/ विशेष गृह का संचालन किया जा रहा है जिसमें 7 बच्चे निवास कर रहे है **(कानून के साथ विवाद में पड़ें बच्चों को रखा जाता है ।)**

3. **राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए): -**

स्वदेशी दत्तक ग्रहण को प्रोतसाहन देने और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए (आईसीपीएस द्वारा प्रत्येक राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में राज्य (दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के गठन को समर्थन दिया जाएगा। उक्त एसएआरए द्वारा राज्य बाल संरक्षण संस्था के तहत एक इकाई का गठन किया जाएगा जो राज्य दत्तक ग्रहण सलाहकार समिति को सचिव और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगी एवं दत्तक ग्रहण के कार्य का समन्वय, निगरानी और विकास करेगी।

एसएआरए द्वारा जिला स्तरों पर प्रवर्तकता , पालन पोषण देखरेख स्वदेशी और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वास और सामाजिक पुनः समेकन की प्रकिया के लिए बाल कल्याण समिति को तकनीकी सहायता दी जाएगी । एसआरए के विशिष्ट दायित्व और भूमिकाएं इस प्रकार हैं:–

(i) राज्य में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के समन्वय, निगरानी और विकास के लिए राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना।

(ii) एसीए के गठन की सुविधा प्रदान करना, जाहां ये नही हैं तथा मान्यता के लिए सीएआरए में इनकी सिफारिश करना ।

(iii) एसीए के गठन के लिए सुविधा प्रदान करना, एसएए को कानून मान्यता प्रदान करना और उक्त एजेंसियों की एक व्यापक सूची बनाना।

(iv) सुनिश्चित करना कि बच्चों के सभी दत्तक ग्रहण/ स्थायी स्थान प्रदान करने का कार्य भारत के उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार के कानूनों और मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार किया जाए।

(v) सीएआरए के समन्वय से स्वदेशी दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन और अंतरदेशी दत्तक ग्रहण का विनियम ।

(vi) जिला बाल संरक्षण संस्थाओं और एसीए की सहायता से बच्चों का पता लगाने वाली प्रणाली के भाग के रूप में वेब–आधारित एक केन्द्रीय(राज्य विशिष्ट) डेटाबेस बनाना ।

(vii) जिला बाल संरक्षण संस्थाओं और एसीए की सहायता से संभावित दत्तक ग्रहण करने वाले माता–पिता का वेब आधारित दत्तक ग्रहण योग्य बच्चों का एक केन्द्रीय या (राज्य विशिष्ट) डेटाबेस बनाना ।

स्वदेशी दत्तक ग्रहण हेतु दत्तक ग्रहण प्रधिकरण तथा एजेंसियां: -

राज्य में विशेष दत्तक ग्रहण संस्था का संचालन हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद के द्वारा संचालित कीया जा रहा है। वर्तमान मे संस्था द्वारा एक शिशु गृह संचालित कीया जा रहा हैं वर्तमान मे यहां 11 बच्चें रह रहे हैं तथा वर्ष 2013/14 में 9 बच्चों का दत्तक ग्रहण करवाया गया तथा 3 बच्चें शिशु गृह में दाखिल कीये गए। प्रदेश में दत्तक ग्रहण का संचालन बाल कल्याण परिषद शिमला द्वारा विशेष दत्तक ग्रहण संस्था(एसएए) के रुप में किया जा रहा है। जिनके कार्यालय का नम्बर 0177–2622921 तथा वैवसाईट h.p.govt.in-ccw है।

वैधानिक समर्थन सेवाएं: -

(i) बाल कल्याण समिति सीडब्ल्युसी : -

राज्य में किशोर न्याय संसोधीत अधिनियम 2006 राज्य मे 12 जिलो मे बाल समितियों का गठन किया गया जिमसमे बच्चो की देखभाल, एवम पुर्नवास मामलो का निपटारा किया जाता है।

(ii) किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी: -

किशोर न्याय बच्चों की देखरमख और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 में कानून के साथ विवाद में पडें किशोरों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए प्त्येक जिले में एक किशोर न्याय बोर्ड का गठन अनिवार्य किया गया है।राज्य मे 12 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है जिसमे कानून के साथ विवाद में पडे विवादो का निपटारा किया जाता है।

(iii) विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू)

किशोर न्याय अधिनियम 2000 में प्त्येक जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों के गठन की सुविधा दी गई है ताकि बच्चों के साथ पुलिस के अंतरापृष्ठ का समन्वय किया जा सके। जिले या शहर में किशोर/ बाल कल्याण अधिकारियों के रूप में नाम निर्दिष्ट अधिकारी एसजेपीयू के सदस्य होते है।